कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28001/16–17 दिनांकः 27/6/17

उप निदेशक (समस्त)
माध्यमिक शिक्षा
जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)
माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय

विषयः– भण्डार में उपलब्ध स्थायी सामग्री का वर्ष 2016–17 का भौतिक सत्यापन करने एवं बेशी अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का निस्तारण बाबत ।
प्रसंगः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 07.04.17

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक के सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के स्थायी भण्डार पंजिका में उपलब्ध सामग्री का सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के पार्ट –II के नियम 13 में दी गई निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार भण्डार में उपलब्ध सामग्री का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से निर्धारित कमेटी के माध्यम से सम्पन्न किया जावे ।

भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का निस्तारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट–II के नियम 16 से 21 एवं 22 से 27 में अंकित प्रावधानों के अनुसार करने की कार्यवाही करें । नकारा सामग्री के निस्तारण हेतु शक्तियां सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट–III के आईटम संख्या 35 से 37 के अनुसार होगी । नकारा सामग्री के निस्तारण के कार्य को अभियान के रूप में संचालित किया जावे तथा इस सम्बन्ध में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार कमेटी का गठन किया जावे । कार्यालय के वरिष्ठतम लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी I,II एवं कनिष्ठ लेखाकार को इस अभियान हेतु विशेष रूप से निर्देशित एवं प्रभारी नियुक्त किया जावे । मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 5 तारीख को निर्धारित प्रपत्र में अनिवाय रूप से **caosecedu@gmail.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क.सं.	कार्यालय/विद्यालय का नाम	सामान का पुस्तक मूल्य	नीलामी से प्राप्त आय	टेक्स/वेट	नीलामी से प्राप्त कुल आय	चालान नं./दिनांक
1	2	3	4	5	6	7

मासिक प्रगति सूचना आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे । मासिक प्रगति सूचना न आने एवं नियमों के अनुसार निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही नहीं होने पर सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28001/16 दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप निदेशक प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि भण्डार में उपलब्ध समस्त अनुपयोगी सामग्री का सत्यापन पश्चात निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
2. उप निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
4. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर